न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 108/2022

1 सरजीत सिंह पुत्र मांगू सिंह।
2 सुमन बाई पुत्री मांगू सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती संतोष पुत्री भगवान सिंह पत्नी रोशन सिंह जाति राजपूत निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी व ढ़ाणी नलियाली तन भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 गजेन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह।
3 कालू सिंह पुत्र पूर्ण सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जसरापुर व गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 नत्थूसिंह पुत्र अमरसिंह।
5 बहादुर सिंह पुत्र अमर सिंह।
5/1 प्रेम कंवर पत्नी बहादुर सिंह।
5/2 राकेश सिंह पुत्र बहादुर सिंह।
5/3 राजीव सिंह पुत्र बहादुर सिंह।
6 श्रीमती रतनी देवी पत्नी झाबर सिंह।
7 नरेन्द्र सिंह पुत्र झाबर सिंह।
8 शमशेर सिंह पुत्र झाबर सिंह।
9 शार्दूल सिंह पुत्र अमर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़ाणी बाढ़ान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
10 मदनसिंह पुत्र मुंशी सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(झुंझुनू)

11 रामकुमार सिंह उर्फ राजकुमार पुत्र मुंशी सिंह।
12 बजरंग सिंह पुत्र मुंशी सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़ाणा तन जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
13 शंकर सिंह पुत्र जगदीश सिंह।
14 महेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह।
15 प्रहलाद सिंह पुत्र जगदीश सिंह।
16 नत्थू सिंह पुत्र जगदीश सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़ाणी बाढ़ान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
17 श्रीमती सज्जन कंवर पत्नी कल्याण सिंह।
17/1 प्रेमसिंह पुत्र कल्याण सिंह।
17/2 गजेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
18 राधवेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
19 पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
20 सहजाद सिंह पुत्र सोहन सिंह।
20/1 बिमला कंवर पत्नी सहजाद।
20/2 बलबीर सिंह पुत्र सहजाद।
20/3 सुरेन्द्र सिंह पुत्र सहजाद समस्त जाति राजपूत निवासीगण जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
20/4 संतरा कंवर पुत्री सहजाद सिंह पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू हाल आबाद इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनू।
20/5 सुमन कंवर पुत्री सहजाद सिंह पत्नी बलबीर सिंह जाति राजपूत निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
21 सुमेर सिंह पुत्र सोहन सिंह।
22 रामरतन सिंह पुत्र सोहन सिंह।
23 श्रीमती अन्तर कंवर पत्नी सुमेरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

24 प्रेम सिंह पुत्र बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ढ़ाणी बाढ़ान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

25 सूरज कंवर पत्नी मांगू सिंह।

26 सवाई सिंह पुत्र मांगू सिंह।

27 पृथ्वी सिंह पुत्र मांगू सिंह।

28 ओमसिंह पुत्र मांगू सिंह।

29 रोहताश पुत्र मांगू सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

30 अनोप बाई पुत्री मांगू सिंह पत्नी भंवर सिंह।

31 उम्मेद सिंह पुत्री मांगू सिंह पत्नी बागसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू व तिहावली तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।

32 संतोष बाई पुत्री मांगू सिंह पत्नी रघुवीर सिंह।

33 कैलाश बाई पुत्री मांगू सिंह पत्नी उदयसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़ाणी बाढ़ान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

34 श्रीमती प्रभा कंवर पत्नी दिग्विजय सिंह जाति राजपूत निवासी चेलापुरी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

35 पाना कंवर पत्नी बच्चन सिंह।

35/1 विकास सिंह पुत्र बच्चन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़ाणा तन जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

35/2 सुमन कंवर पुत्री बच्चन सिंह पत्नी रविन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ढ़ाणा तन जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू व चिंचडोली तहसील व जिला झुंझुनू।

35/3 सुनिता कंवर पुत्री बच्चन सिंह पत्नी भूपसिंह जाति राजपूत निवासी ढ़ाणा तन जसरापुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू व नंगली सलेदी सिंह तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

36 मूलसिंह पुत्र सरदार सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

37 बिमल कंवर पत्नी भीमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़ाणा तन जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
38 शेखावाटी ग्रामीण बैंक वर्तमान में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
39 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
40 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश व डिक्री दिनांकित 01.07.2015 मुकदमा उनवानी श्रीमती संतोष बनाम गजेन्द्र सिंह दावा बाबत घोषणात्मक, शाखा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 111/2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रमेश कुमार कटेवा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—30-1-23

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुंझुनू)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 111/2011 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1/वादिया श्रीमती संतोष ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी की अदालत में एक दावा बाबत, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी श्रीमती संतोष बनाम गजेन्द्र सिंह वगैरह का इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 719 रका 0.05 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 720 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 721 रकबा 1.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 723 रकबा 2.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 724 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 3.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 740 रकबा 1.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 741 रबा 1.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 रकबा 1.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 781 रकबा 2.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 825/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 3.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 903 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 935 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 936/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 22.15 हैक्टेयर वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू स्थित है जिसमे वादिया श्रीमती संतोष का 1/40 हिस्सा घोषित किया व इसी प्रकार नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश फरमाये जावे व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे व वादिया का 1/40 हिस्सा का खाता विभाजन कर अलग खाता बनाया जावे व अलग से लगान कायम किये जाने हेतु निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 24.03.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक01.07.2015 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी। प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 28 व 34 की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुचित किये बिना पत्रावली राजस्व लोक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अदालत कैम्प बबाई में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में रास्तो का प्रावधान नही रखा गया है। प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के मध्य प्रतिवादी संख्या 16 की मृत्यु हो गई थी। उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित डिक्री नलिटी है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। जानाकरी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 21 से 29 ने रिमाण्ड के लिये सहमती प्रदान की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुचित किये बिना पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बबाई में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में रास्तो का प्रावधान नही रखा गया है। प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के मध्य प्रतिवादी संख्या 16 की मृत्यु हो गई थी। उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित डिक्री नलिटी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना में रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव पुन प्राप्त करें तदुपरान्त उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण का गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर